उत्तर प्रदेश शासन
वित्त विभाग
संख्या-3/2024/बी-4-590/दस-2024-10(4)/2006
लखनऊः दिनांक 30 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश सरकार की संहत निक्षेप निधि के गठन एवं प्रशासन के लिए संशोधित योजना।

अधिसूचना संख्या-52/X-2020-10(4)/2006, दिनांक 17 मार्च, 2020 को अधिक्रमण करके उत्तर प्रदेश सरकार संहत निक्षेप निधि को स्थापित करने के लिए संशोधित योजना को निम्नवत अधिसूचित करती है:-

योजना का शीर्षक — 1 यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार (जिसे आगे ''सरकार'' कहा गया है) की ''संहत निक्षेप निधि (जिसे आगे ''निधि'' कहा गया है) योजना'' कही जायेगी।

निधि का गठन — 2 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने अदत्त दायित्व के मोचन के लिए निधि का गठन किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य — 3 इस निधि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रारम्भ करते हुए सरकार के अदत्त दायित्वों के मोचन हेतु ऋण शोधन निधि की तरह किया जायेगा।

योजना के संचालन का प्रारम्भ — 4 यह निधि अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावी होगी। योजना का संचालन निम्नानुसार है:

स्पष्टीकरण

(क) यह निधि सरकार द्वारा अंगीकृत वर्तमान संहत निक्षेप निधि योजना के अधीन उल्लिखित विद्यमान निधि को प्रतिस्थापित करेगी।

(ख) मार्च 2024 की समाप्ति पर वर्तमान संहत निक्षेप निधि योजना के अधीन विद्यमान निधि की अवशेष धनराशियॉ इस निधि को स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान संहत निक्षेप निधि से निकासी हेतु अधिकतम अर्ह/पात्र सीमा पर पहुंचने के लिए, संहत निक्षेप निधि में, उसके पूर्ववर्ती द्वितीय वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को अवशेष कोष का 50 प्रतिशत अथवा वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान देय होने वाले मोचन की धनराशि, दोनों में से जो कम हो, की गणना की जानी चाहिए।

(घ) इस निधि का उपयोग सरकार के अदत्त दायित्वों के मोचन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(च) राज्य सरकार अस्थायी नकदी प्रवाह विसंगतियों को पूरा करने के लिए संहत निक्षेप निधि में किए गए निवेश के आनुषंगिक के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) से विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के अधीन अल्पकालिक सुविधा का लाभ उठा सकती है, जो कि बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित शर्तों और उपबन्धों के अधीन होगा।

(छ) अदत्त दायित्वों को सरकार का आंतरिक ऋण तथा लोक लेखा दायित्वों दोनों को सम्मिलित करने हेतु परिभाषित किया गया है।

निधि में अंशदान

5 सरकार पांच वर्ष की अवधि के भीतर अदत्त दायित्वों के पांच प्रतिशत तक संहत निक्षेप निधि कोष का निर्माण करने की दिशा में सचेष्ट प्रयास करेगी। एक वर्ष में अंशदान करने की संख्या के संदर्भ में निधि में ऐसे अंशदानों की कोई उच्चतम सीमा नहीं है। सरकार स्व-विवेकानुसार किसी भी समय सामान्य राजस्व से या विनिवेश आय जैसे अन्य स्रोतों से निधि में निवेश करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार रिजर्व बैंक से उधार लेकर निधि में अपना अंशदान नहीं करेगी।

निधि का सामान्य राजस्व के साथ संबंध

6 निधि कोष में नियत कालिक अंशदान के साथ-साथ निधि से अर्जित आय को सरकार के सामान्य राजस्व से पृथक रखा जायेगा। निधि का उपयोग इस योजना में विहित रीति से किया जाएगा।

निधि का प्रशासन

7 निधि का प्रबन्धन बैंक के नागपुर स्थित केंद्रीय लेखा अनुभाग द्वारा (ऐसे निर्देशों/अनुदेशों के अध्यधीन जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाये) किया जायेगा।

निधि के कोष का निवेश

8 निधि में अभिवृद्धि होने वाली राशियों का निवेश ऐसी परिपक्वता अवधि वाली भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, राजकोषीय बिलों, भारत सरकार की विशेष प्ररतिभूतियों तथा अन्य राज्यों के राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किया जायेगा, जैसा सरकार के परामर्श से बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाये।

स्पष्टीकरण

(क) निधि में अभिवृद्धि होने वाली राशियों में, किये जाने वाले आवर्तक अंशदान तथा उसके निवेश से निधि में संचित होने वाली आय सम्मिलित होगी।

(ख) बैंक द्वितीयक बाजार से प्रतिभूतियॉ अर्जित करके निवेश के लिए प्रस्तर-10 में इंगित प्रभार से भिन्न कोई अन्य प्रभार लगाये बिना प्रतिभूतियॉ उपलब्ध करायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

लेखा संव्यवहार

9 (क) बैंक सरकार की सलाह के अनुसार अपने पास रखे गये सरकार के नामे खाते बढ़ाने की व्यवस्था करेगा।

(ख) निधि में किये जाने वाले अंशदान का निवेश, रू0 10,000/- के गुणकों में, जैसा प्रस्तर-8 में इंगित किया गया है बैंक द्वारा सरकार की प्रतिभूतियों में किया जायेगा।

(ग) ब्याज आय के माध्यम से निधि में नियत कालिक अभिवृद्धि को बैंक द्वारा वैसी ही रीति से, रू0 10,000/- के गुणकों में, पुनर्निवेशित किया जायेगा।

(घ) निधि से किये गये और योजना के प्रचलन के दौरान परिपक्व होने वाले निवेश को प्रस्तर-8 के अनुसार पुनर्निवेशित किया जायेगा।

(च) निधि से कोई निकासी की अनुमति तब तक नही दी जायेगी जब तक कि निधि के गठन की तिथि से पॉच वर्ष पूरे न हो जाय।

स्पष्टीकरण

(क) निधि के गठन की तिथि से पांच वर्ष पूरे होने पर अगले वित्तीय वर्ष से निकासी की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) आवर्ती किश्तों हेतु सरकार के नामे डाली गयी धनराशि का लेखांकन मुख्य लेखाशीर्ष-8222 (रक्षित निधियों) के अन्तर्गत किया जायेगा। ऋण की परिपक्वता पर लेखाशीर्ष-8222 (उपशीर्ष निक्षेप निधि) में अवशेष राशि लेखाशीर्ष-8680 (विविध सरकारी लेखा) खाता से शेष समायोजन लेखा में जमा की जायेगी।

(ग) बैंक सामान्य प्रक्रिया में निवेश की राशि में से प्रासंगिक शुल्को की धनराशि घटाते हुए सरकार को सूची प्रेषित करेगा। यद्यपि यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि के निवेश संव्यवहारों को अन्य संव्यवहारों के साथ मिश्रित न हो, इन्हें अलग-अलग सूची में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा।

(घ) बैंक निर्धारित तिथियों पर निवेश पर ब्याज का संग्रहण तथा उसे निधि में क्रेडिट किया जाना सुनिश्चित करेगा।

(च) प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर बैंक प्रतिभूतियों के मोचन का प्रबन्ध करेगा। किसी दावे के भुगतान के दायित्व की पूर्ति हेतु परिपक्वता से पूर्व विनिवेश के मामले में, बैंक नगदीकृत की जाने वाली प्रतिभूतियों पर निर्णय लेगा तथा उन प्रतिभूतियों को

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तत्समय प्रभावी मूल्य पर विक्रय कर प्राप्त धनराशि में से प्रासंगिक शुल्कों को घटाकर निधि में क्रेडिट किया जायेगा। यदि ये प्रतिभूतियॉ घाटे में हैं, बैंक सरकार के परामर्श से नगदीकृत की जाने वाली प्रतिभूतियों पर निर्णय लेगा। डेबिट स्क्रॉल्स के मामले में प्राप्तियों के लिए बैंक अलग-अलग स्क्रॉल्स का प्रयोग करेगा।

(छ) आवर्ती अंशदान के कारण व्यय के लिए सरकार के बजट में सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत प्रावधान कराया जायेगा। निधि से वित्त पोषित होने वाले व्यय की सीमा तक धनराशि का प्रत्याहरण, निधि से किये गये निवेश के निपटान द्वारा किया जायेगा।

(ज) बैंक निधि के नाम से एक चालू खाता तथा सब्सिडियरी जनरल लेजर खाता खोलेगा एवं प्रत्येक वर्ष सितम्बर तथा मार्च की समाप्ति पर निवेशों का विवरण प्रदर्शित करते हुए सरकार को विवरणी उपलब्ध करायेगा।

निधि के प्रशासन हेतु सेवा शुल्क

10 सरकार बैंक को निधि के आवर्तन पर एक प्रतिशत का 1/8 प्रतिशत अथवा समय-समय पर परस्पर निर्णय की जाने वाली दर पर कमीशन का भुगतान करेगी।

लेखा और संपरीक्षा

11 निधि तथा किये गये निवेशों का लेखा सामान्य क्रम में राज्य के महालेखाकार द्वारा रखा जायेगा। बैंक सहायक खातों को ऐसे रीति और विवरण में अनुरक्षित करेगा जैसा कि सरकार द्वारा महालेखाकार के परामर्श से विचार किया जा सकता है।

व्यावृत्ति

12 योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु सरकार समय-समय पर योजना के उपबन्धों से सम्बन्धित निदेश जैसा अवधारित किया जाय, जारी करेगी। योजना के किसी उपबन्धों के संचालन में कोई कठिनाई होने के मामले में सरकार, यदि समाधान हो जाय तो ऐसे उपबन्धों को शिथिल कर सकती है।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।